न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	रजिस्टेशन नं0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/51/2019	2019/00138	17/09/2019	21.12.2021

1- टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंश लिमिटेड रजिस्टर्ड पता:– ग्यारवीं मंजिल टावर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क गनपत्राओं कदम मार्ग लोअर पारेल मुम्बई 400013.

प्रार्थी

बनाम

1- कुलदीप सिंह आर्य, निवासी मकान नम्बर 47 मालवीय नगर अलवर (राजस्थान)
 (a) खसरा नं0 2153/2 लाखण्डा वाला कुआं नियर बिजलीघर सर्किल अलवर।
 (b) हाउस नम्बर ए–47, मालवीय नगर अलवर।
 (c) मैसर्स क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर लाखण्डा वाला कुआं नियर बिजलीघर सर्किल अलवर।

2- रेखा आर्य निवासी मकान नम्बर 47 मालवीय नगर अलवर (राजस्थान)
 (a) खसरा नं0 2153/2 लाखण्डा वाला कुआं नियर बिजलीघर सर्किल अलवर।
 (b) हाउस नम्बर ए–47, मालवीय नगर अलवर।

अप्रार्थीगण/ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

––:: निर्णय ::––

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसके द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को ऋण अनुबंध संख्या 10018813 दिनांक 30.07.2017 के द्वारा 1,18,00,000/–रूपये (Rupees One Crore Eighteen Lakh Only) को उपलब्ध कराई थी, जो दिनांक 08.05.2019 को Total Aggregating Loan Amount Rs. 1,15,77,413/–(Rupees One Crore Fifteen Lakh Seventy Seven Thousand Four Hundred Thirteen Only) है। ब्याज/लेट पेमेन्ट पेनेल्टी/अन्य चार्जेज के साथ की अदायगी नही की गई। तथा अप्रार्थी ऋणीयों/जमानतदारो द्वारा ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर अप्रार्थीगण द्वारा स्वंय की सम्पत्ति "खसरा नम्बर 2153/2 लाखण्डा वाला कुआं बिहाईन्ड ओल्ड बिजलीघर अलवर पर स्थित सम्पत्ति पर ग्राउण्ड फ्लोर पर स्थित दो दुकाने मय सीढ़ी व फर्स्ट फ्लोर पर स्थित नौ दुकाने मय सीढी व छत सहित" को रहन रखा गया था। अप्रार्थी ने तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थीगण के द्वारा ऋण राशि की अदायगी नही की गई। प्रार्थी ने उपरोक्त सम्पत्ति "खसरा नम्बर 2153/2 लाखण्डा वाला कुआं बिहाईन्ड ओल्ड बिजलीघर अलवर पर स्थित सम्पत्ति पर ग्राउण्ड फ्लोर पर स्थित दो दुकाने मय सीढ़ी व फर्स्ट फ्लोर पर स्थित नौ दुकाने मय सीढी व छत सहित" को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया गया है, जिसका कब्जा लेने का अधिकार बैंक को है।

जिला कलक्टर, अलवर

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी बैंक ने नियमानुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नही है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेकर प्रार्थी बैंक को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तो पर दिये जाते है:–

1- रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत कोई आक्षेप प्राप्त होता है, तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करावें।

2- आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र एवं पेश दस्तावेजात के आधार पर दिये जा रहे है, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रकिया/प्रावधानों की पालना नहीं की गई है, तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय प्रति तहसीलदार अलवर, जिला अलवर को भिजवाई जाकर निर्देशित किया जाता है, कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा–31 के प्रावधानो की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावें। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलेक्टर, अलवर